

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठारिीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 04/2020 (2020/00013) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. बदी शंकर पिता श्रीकिशन ब्राह्मण निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी


बनाम

1. अर्जुन सिंह पिता अमयसिंह राजपूत,
2. उमोदसिंह पिता अमयसिंह राजपूत,
3. श्रीमति चोंद कंवर पत्नी अमयसिंह राजपूत,
4. अमयसिंह पिता बालूसिंह राजपूत,
5. भंवरसिंह पिता बालूसिंह राजपूत,
6. छोटूसिंह पिता बालूसिंह राजपूत,
7. राजू सिंह पिता बालूसिंह राजपूत,
8. सुश्री रेखा पुत्री बालूसिंह राजपूत,
9. श्रीमति प्रेम कंवर बेवा लालू सिंह राजपूत,
10. शम्भूसिंह पिता प्रताप सिंह राजपूत,
11. श्रीमति कंवल कंवर पुत्री प्रताप सिंह राजपूत,
12. श्रीमति फेफा कंवर पुत्री प्रताप सिंह राजपूत,
13. श्रीमति नन्दा कंवर पुत्री प्रतापसिंह राजपूत,
14. गोवाल पिता हीरा लाल ब्राह्मण,
15. जगदीश पिता हीरा लाल ब्राह्मण,
16. पुरुषोत्तम पिता हीरा लाल ब्राह्मण,
17. श्रीमति अणछि बेवा हीरालाल ब्राह्मण,
18. श्रीमति सांवर बाई पत्नी नारायण लाल ब्राह्मण,
19. नारायण लाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण,
20. श्रीमति नाराणी पिता बद्रीलाल ब्राह्मण,
21. शान्तिदेवी पत्नी बद्रीलाल ब्राह्मण,
22. पुष्पेन्द्र सिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत,
23. लीलाधर सिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत,
24. श्रीमति रमाकंवर पुत्री गोविन्द सिंह राजपूत,
25. नरपतसिंह पिता अमरसिंह राजपूत,
26. श्रीमति भंवर कंवर पत्नी अमरसिंह राजपूत

सर्व निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

27. भगवान लाल पिता कन्हैया लाल सुखलाल, निवासी बामणिया कंला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
28. श्रीमति लाली देवी पत्नी नानूरा बैरवा, निवासी भूणास तहसील सहाड़ा।
29. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यान्वयन ईकाई सुभाषनगर, भीलवाड़ा।
30. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

—विपक्षीगण


उप-खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

लगातार.....02

//02//

निर्णय दिनांक- 17/03/2020


~ आदेश ~

संक्षेप में तथा इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट 1958 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम नूपास पटवार हल्का नूपास तहसील सहाड़ा के बैलन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1596, 1599, 1777, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2034, 2418, 2419, 3323/2030 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 4.17है0 राजस्व खाता संख्या 298 पर स्थित है। नूनि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी संख्या 2071 से 2074 संलग्न है। प्रार्थी द्वारा उक्त नूनि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तेमाल की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 27 व 29 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई, जिसका अंजन आदेशिका दिनांक 03.03.2020 पर किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगावत 26 एवं 28 बावजूद सूचना के अनुसंधित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। बाद सुनवाई में प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन नग्न किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन नग्न के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नूपास पटवार हल्का नूपास तहसील सहाड़ा के बैलन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1596, 1599, 1777, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2034, 2418, 2419, 3323/2030 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 4.17है0 नूनि स्थित है। नूनियों का बचानलात पत्थरगढी के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त नूनि में दोनों पक्षों की चरस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आरटीए के तहत वाद पेश करने के लिए याबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 2200/- (दो हजार दो सौ रुपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 2200/- (दो हजार दो सौ रुपये मात्र) सम्बन्धित मु-अमिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक /03/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उप-सुब्बडि अधिकारी
गंगापुर (मी.ल.वा.स.)

